

2025/372

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
 उपखण्ड नावां जिला डीडवाना-कुचामन
 विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136।
 द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का जाबदीनगर
 महोदय,
 उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध हैं जिराका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्दरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1 पटवार हल्का <u>जाबदीनगर</u> राजस्व ग्राम <u>लोहराणा</u> खाता संख्या 161 खसरा संख्या 1 14-160, 161 163, 3, 4, 474/899 रकबा हेक्टेयर में 39.98	2 <u>जगदीशसिंह पुत्र</u> <u>खिरवमाराम हिस्सा</u> 135/15992 जाति जाट <u>सा. देह खातेदार</u>	3 <u>जगवीरसिंह पुत्र</u> <u>खिरवमाराम हिस्सा</u> 135/15992 जाति जाट <u>सा. देह खातेदार</u>

- संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए)
1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
 2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
 3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
 4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर गजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार राजरा / वंशावली
 5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।
- कुल संलग्नक संख्या:- 2

(बिचाननामा की कोरेंचरि

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अशुद्धि (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-
बिचाननामा में प्रार्थी का नाम जगदीशसिंह देह या परन्तु नामा. पत्र के पत्र
जगदीशसिंह देह ही राजरा जो पुरिपूर इलाका है

भू.अ.निरीक्षक
 तहसीलदार की टिप्पणी:-
शुद्धि किमे जाके की अशुद्धि की गरी है
 हस्ताक्षर आवेदक
 हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला सजसमंद डीडवाना-कुचामन
 क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ दिनांक:-

आदेश
 प्रार्थी जगदीश देह निवारी डीडवाना के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार ... की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

- क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2021/PDU/05
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. तहसीलदार को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
 2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 3. प्रार्थी / आवेदक को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
 दिनांक:- 25/05/25
 उपखण्ड अधिकारी
 नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
 नावां (डीडवाना-कुचामन)